भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1492

04 दिसंबर, 2024 के लिए प्रश्न

पीएमजीकेएवाई कें अंतर्गत निधियों का उपयोग

1492. श्री दिलेश्वर कामैत:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के अंतर्गत निधियों के आबंटन और उपयोग का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या पीएमजीकेएवाई के अंतर्गत चावल राजसहायता पर राज्यों की कोई बकाया राशि लंबित है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

(क) से (ग): भारत सरकार/वित्त मंत्रालय पीएमजीकेएवाई (प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना) के अंतर्गत राज्यवार धनराशि आबंटित नहीं करता है, बल्कि एफसीआई (भारतीय खाद्य निगम) और उन राज्यों को खाद्य सब्सिडी के लिए धनराशि जारी की जाती है, जिन्होंने लक्षित लाभार्थियों को खाद्यान्न वितरण के आधार पर विकेंद्रीकृत खरीद को अपनाया है। दिनांक 01 जनवरी, 2023 से शुरू स्कीम, अर्थात एनएफएसए के तहत एफसीआई और डीसीपी राज्यों को खाद्य सब्सिडी को पीएमजीकेएवाई के तहत एफसीआई और डीसीपी राज्यों को खाद्य सब्सिडी के रूप में शामिल कर लिया गया है। राज्यों को खाद्यान्नों की केन्द्रीय पूल में खरीद के लिए स्वीकार्य राशि का भुगतान भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई)/खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग (डीएफपीडी) द्वारा उनकी राज्य सरकारों और एजेंसियों द्वारा लागत पत्रक के अनुसार किए गए दावों के आधार पर किया जाता है, जिसमें खाद्यान्नों का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) और अन्य आकस्मिक व्यय शामिल होते हैं। इसके अलावा, विकेंद्रीकृत खरीद (डीसीपी) मोड का विकल्प चुनने वाले राज्यों को उनके तिमाही खाद्य सब्सिडी दावों के आधार पर अनंतिम खाद्य सब्सिडी दी जाती है, जो एक जारी और सतत प्रक्रिया है। धान की खरीद और किसानों को एमएसपी का भुगतान करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। इन दावों पर कार्रवाई स्टॉक के प्रारंभिक और अंतिम शेष, विभिन्न केंद्रीय योजनाओं के तहत खाद्यान्नों की खरीद, आबंटन और वितरण, भारतीय खाद्य निगम के समाधान, प्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्र, खाद्यान्नों की आर्थिक लागत आदि को ध्यान में रखते हुए की जाती है। राज्यों द्वारा कुछ दिशा-निर्देशों के अनुपालन के लंबित रहने के बावजूद, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार लगातार राज्य सरकारों को उनके दावों के विपरीत खाद्य सब्सिडी की स्वीकार्य राशि जारी कर रहा है। पिछले और चालू वित्त वर्ष में एफसीआई और डीसीपी राज्यों को जारी खाद्य सब्सिडी का ब्यौरा क्रमश: 2,11,394.39 करोड़ रुपये और 1,40,239.10 करोड़ रुपये (अक्तूबर, 2024 तक) है। इसके अलावा, डीसीपी राज्यों को जारी राज्यवार सब्सिडी का ब्यौरा **अनुबंध-I** में दिया गया है।

*****

अनुबंध-I

लोक सभा में दिनांक 04.12.2024 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 1492 के भाग (क) से (ग) में उल्लिखित अनुबंध

डीसीपी राज्यों को जारी खाद्य सब्सिडी का राज्यवार ब्यौरा निम्नानुसार है:

(करोड़ रुपए में)

क्र. सं.	राज्य का नाम	2023-24	2024-25 (अक्तूबर, 2024 तक)
1.	आंध्र प्रदेश	6268.19	5498
2.	बिहार	6557.64	7032.12
3.	छत्तीसगढ	5236.13	17.96
4.	गुजरात	267.83	2.49
5.	कर्नाटक	1222.13	120.68
6.	केरल	1151.85	369.86
7.	मध्य प्रदेश	16939.27	3449.05
8.	महाराष्ट्र	3923.29	327.74
9.	ओडिशा	14473.68	4671.18
10.	पंजाब	2064.56	661.26
11.	तमिलनाडु	7072.53	3178.16
12.	तेलंगाना	5367.07	2592.1
13.	उत्तराखंड	724.39	517.3
14.	पश्चिम बंगाल	-	1535.42
15.	झारखंड ##	42.77	342.97
16.	त्रिपुरा	106.51	35.79
17.	डीबीटी* एवं विविध	267.6	105.31
18.	हिमाचल प्रदेश $	47.38	-
	कुल	71732.82	30457.39

नोट:-

##झारखंड केएमएस वर्ष 2016-17 (केवल 1 जिले के लिए) वर्ष 2017-18 (केवल 5 जिलों के लिए), 2018-19 (केवल 6 जिलों के लिए) के लिए डीसीपी था। उन्होंने केएमएस वर्ष 2019-20 में नॉन-डीसीपी को अपनाया है। वित्त वर्ष 2023-24 में डीसीपी को अपनाया।

$हिमाचल प्रदेश ने वर्ष 2023-24 में डीसीपी मोड को अपनाया है

*डीबीटी योजना के तहत, चंडीगढ़, पुदुचेरी तथा दादरा और नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्रों को वर्ष 2015-16 से सब्सिडी जारी की जाती है।

*****